

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना : अधिकार से आजिविका तक

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना वस्तुस्थिती विशेषांक

जयसमन्द कंसोर्टियम त्रैमासिक पत्रिका अप्रैल – जून 2008 प्रथम अंक

सम्पादक :

जुनैद खान कोमल,

सलाहकार मण्डल

विरेंद्र लोबो

डॉ. जगदीश के. पुरोहित

मोहन डॉंगी

राजकरण यादव

गणेश पुरोहित

कमलेन्द्र सिंह राठौड

शोध सहायक

पंकज पालीवाल

दया राम पटेल

छायांकन :

जगदीश मेनन

राधेश्याम सुथार

प्रकाशक:

जयसमन्द कंसोर्टियम

कंसोर्टियम सदस्य

एस. पी. डब्ल्यू. डी.

हनुमान वन विकास समिति

प्रयत्न समिति

जागरण जन विकास समिति

समर्थक समिति

प्रेषक

जयसमन्द कंसोर्टियम,

26-27, महावीर कॉलोनी,

बेदला रोड, उदयपुर.

फोन : 0294 2450268;

jaisamand@gmail.com



आर्थिक वृद्धि दर में बढ़त और स्टाक मार्केट की आक्रमक चढ़ाई ने भारत को दुनिया की सबसे आकर्षक अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ला खड़ा किया है। जबकि गरीब तबका अपनी दैनिक आवश्यकताओं से जूझ रहा है। सरकारी आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में तीन साल से कम उम्र के बच्चों में 74 प्रतिशत बच्चें रक्तहीनता के शिकार हैं और 50 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। देश की 87 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में रक्तहीनता है। देशभर में भूख से हुई सैंकड़ों मौतें एक 'कुपोषण आपातकाल' को रेखांकित करती हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 लाख से अधिक बच्चों की मौत हो रही है विश्व में हर पांच मरने वाले बच्चों में एक बच्चा भारतीय है। शिशु मृत्यु दर बांग्लादेश से भी कहीं ज्यादा है। राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे के अप्रकाशित आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 'हमारी आधी ग्रामीण जनसंख्या या करीब 350 लाख लोग अफ्रीकी-सहारा क्षेत्र के औसत से भी कम खाद्य उर्जा ग्रहण कर पाते हैं' (पटनायक 2005)। स्थिति कितनी अगाध है यह हाल ही के वर्षों में 10,000 से अधिक कृषकों द्वारा की गई आत्महत्या (घोष 2005) और महाराष्ट्र में हुई हजारों की संख्या में बच्चों की मृत्यु से समझा जा सकता है।

इसी प्रकार बेरोजगारी की समस्या भी अत्यंत चिंताजनक है। राष्ट्रीय साम्पल सर्वे की 55वीं गणना यह दर्शाती है की रोजगार सृजन की दर में भारी गिरावट आई है। 'वर्तमान दैनिक स्थिति' (करंट डेली स्टेट्स) के हिसाब से रोजगार की वृद्धि दर जो 1983-1994 की अवधि में 20.7 प्रतिशत थी, 1994-2000 में गिर कर 1.07 प्रतिशत हो गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर वर्ष 1993-94 में 5.6 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1999-2000 में 7.2 प्रतिशत हो गई है। रोजगार के अवसर में कमी होने का मुख्य कारण यह रहा कि कृषि विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन जिस गति से होना चाहिए था, वैसे नहीं हुआ। इसको यूं भी समझा जा सकता है कि जहां 1983-94 के बीच कृषि उत्पादन में इकाई वृद्धि से रोजगार के अवसरों में 0.7 इकाइयों का इजाफा होता था, वहीं 1994-2000 के बीच केवल 0.01 रोजगार इकाइयां ही अर्जित हो पाई (घोष 2005)। अतः करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना ही आज की सबसे अहम प्राथमिकता है। अभी हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (रागरोगा) इन सब चिंताओं को संबोधित करने का प्रयास है। रागरोगा लंबे समय से चल रहे जनसंगठनों के संघर्ष का नतीजा है।¹

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के तहत यह स्पष्ट है कि यह अधिकार भारत की ग्रामीण जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक जिले में गरीबी का आंकलन किया गया। इनमें से सबसे खराब स्थिति वाले जिलों में इस योजना को प्रारम्भ किया गया। अन्य जरूरी बातों के साथ-साथ इस योजना में यह बात मुख्य रूप से सामने आई है कि न्यूनतम मजदूरी पहले से तय कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि निर्धारित कार्य का भुगतान निर्धारित मजदूरी से कम नहीं किया जा सकेगा इससे पूर्व में जो योजनाएं आईं उनमें यही देखा गया की श्रमिक सदैव भुगतान को लेकर असंतुष्ट ही रहें हैं। इस योजना का सबसे मजबूत पक्ष है रोजगार गारण्टी। इसका मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अन्य योजनाओं से हटकर इस योजना में कार्य उपलब्धता नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता मुहैया करवाया जायेगा। पिछले दो वर्षों का क्षेत्रीय अनुभव हमें यह बताता है कि ग्रामीण समुदाय में पिछड़ा वर्ग इस योजना में सबसे ज्यादा भागीदारी निभा रहा है।

जयसमन्द कंसोर्टियम गत दो वर्षों से गिर्वा ब्लाक में तीन पंचायतों के 10 गाँवों में कार्यरत हैं। इन 10 गाँवों में एकत्रित किये गये आंकड़ों का आंकलन करते हुए यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि (जाति के आधार पर) पिछड़ा वर्ग इन गाँवों में इस योजना में अधिकांश भागीदारी निभा रहा है। अन्य वर्ग (उच्च वर्ग) इस कार्यक्रम में लगभग गौण हैं। अन्य आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 80 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक यह कार्य अंजाम दे रही हैं। चर्चा में यह भी आया है कि इस योजना के चलते पलायन पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु हमारे आंकड़े तथा क्षेत्रीय अनुभव यही कहते हैं कि पलायन का मुद्दा इस योजना से हल नहीं हो सकता। और यदि घर की महिलाएं यह कार्य अंजाम दे रही हैं तो इन घरों में अतिरिक्त आमदनी बढ़ी है।

पंचायत	गाँव	कुल घरों की संख्या	कुल जनसंख्या	अ.जा.		अ. ज जा.		अ.पि.व.		अन्य	
				जनसंख्या	घर	जनसंख्या	घर	जनसंख्या	घर	जनसंख्या	घर
वली पंचायत	वली	107	573	72	15	22	3	439	82	40	7
	वेला	159	955	.	.	941	156	.	.	14	3
	खेड़ी	132	679	85	16	336	63	241	129	17	6
फिला पंचायत	फिला	135	706	.	.	605	116	101	19	.	.
	रतनपुरा	26	129
	हाथीदा	75	312	.	.	312	75
	जमून	65	308	.	.	307	63
भलो का गुड़ा	भेकड़ा	82	416	.	.	410	81	6	1	.	.
	करगेट	151	806	13	3	781	146	12	2	.	.
	भलो का गुड़ा	90	404	14	3	215	51	175	36	.	.
	छोटा गुड़ा	31	132	27	7	92	22	13	2	.	.
योग		1053	5420	211	44	4021	776	987	271	71	16

कार्य आयोजना, कार्य प्रारंभ करवाने तथा भुगतान आदि में महिलाओं ने अपनी संगठित शक्ति को इस्तेमाल किया है। भलो के गुड़ा में यह संगठित शक्ति सचिव व मेट को रास्ते में रोक कर कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ में सवाल व बाद में धमकाने में काम में ली गई। परिणाम स्वरूप अगले दिन ही रोजगार कार्य सृजन हुए।

गत वर्षों में ग्रामीण विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन में एक समस्या हमेशा बनी रही वो है **मजदूरों का चयन**। यह चयन प्रक्रिया पूरी तरह सरपंच, सचिव, तथा मेट के चंगुल में थी। कौन से कार्य किस स्थान पर होंगे तथा किन लोगों को मजदूरी में चुना जायेगा, यह फैसला सरकारी योजना में निर्णायक भूमिका निभाता था। मजदूरों पर मेट कौन होगा –(जो बेहतर फायदा करवाये) यह निर्णय सरपंच तथा सचिव के फैसले का बाध्य था। यदि विकास का कार्य चुनाई या ग्राम सम्पत्ति निर्माण का है तो मेट कार्य की गुणवत्ता, मजदूरी आदि के लिये जिम्मेदार होगा। तभी उपर तक के लोग खुश होंगे। मेट भी पारम्परिक नौकरी की भांति ही एक कार्य था। कुछ चुनिंदा लोग इसके लिये निश्चित थे। रा.गा.रो.गा. की विशेषता ही यह है कि इसमें गांव के **प्राकृतिक संसाधनों का विकास** प्रारम्भिक दर्जा रखता है। सभी तरफ जब इस प्रकार के कार्य शुरू किये गये हैं तो यह स्वाभाविक है कि पारम्परिक मेटों से कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह एक सुनहरा अवसर था जब आम ग्रामीणों में से मेटों का चयन किया गया। यह मेट अब अन्य योजनाओं से ज्यादा आजाद वातावरण में कार्य कर पा रहे हैं। चूंकि सभी को रोजगार मुहैया करवाना है अतः इन पर ना तो मजदूरों के चयन का दबाव है और ना ही अपने से उपर के लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी।

सरकार की तरफ से भी ईन मेटों को आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाने की पहल हुई है। इससे पहले की योजनाओं में सरकार ने भी इनके प्रशिक्षण को इतना आवश्यक नहीं समझा था। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी बनाया गया तथा मेट प्रशिक्षण आयोजित करवाये गये। अब ज्यादातर मेट प्रशिक्षित हैं। उन्हें कम से कम काम के आधार पर या नपती के आधार पर मजदूरी भरना तो आ ही गया है। साथ ही पांच के समूह में कार्य करना तथा नपती को प्राप्त करना भी सिखाया गया है ताकी पूर्ण मजदूरी दी जा सके। लेकिन अभी तक अधिकांश कार्य स्थलों पर समूह में कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। इस नई व्यवस्था के चलते हमेशा से शोषित ग्रामीणों को अब स्वयं के लिये आवाज उठाते हुए देखना रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा अनुभव है। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण समुदाय चाहे कछुआ चाल ही सही पर अन्ततः अपनी हलाल की रोटी तथा गाँव के एकीकृत विकास के लिये बहस करने लगा है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से इसके हाथ में एक लैंस आ गया है जिसमें से सच-झूठ के बीच का भेद तथा भ्रष्टाचार एवं शोषण को साफ देख सकते हैं।

भुगतान में भी सरकारी पहल देखी गई है। अब भुगतान रोकड़ की जगह बैंक या पोस्ट ऑफिस के खातों में जमा होगा। जहाँ भुगतान सम्बन्धी परेशानियाँ आ रही थी वे अब कुछ हद तक रोकी जा सकेगी। परन्तु इस व्यवस्था के लागू होने में अभी ओर समय लगेगा। अशिक्षित समाज के लोग खाते खुलवाने में मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। ग्रामिण बैंक शाखायें वैसे ही दो कर्मचारियों के सहारे चल रही हैं। वे लोग इतने खाते खोलने तथा प्रतिदिन की पूछताछ व समय का अभाव होने से बौखलाए हुए हैं। बम्बोरा गाँव में राजस्थान बैंक की शाखा है। इस शाखा को 6 पंचायतों (गुड़ली, फिला, बोरी, सुलावास, ओट तथा सोमाखड़ा) के सभी ग्रामवासीयों के खाते खोलने का आदेश आया। परन्तु इस शाखा ने सिर्फ दो पंचायतों (फिला तथा बम्बोरा) को ही यह सुविधा दी। अन्य पंचायतों के खाते पूर्व से ही अन्य बैंकों में खुले हुए हैं। अतः बैंक ने यह दलील दी कि वहीं जा कर रोजगार के खाते खुलवायें। अब इन पंचायतों के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा रहे हैं।

ग्राम पंचायत	खाते खुलवाने की जगह	वर्तमान स्थिति
फिला	राजस्थान बैंक, बम्बोरा शाखा	प्रक्रिया जारी है।
वली	पोस्ट ऑफिस, वली	प्रक्रिया जारी है।
भलो का गुड़ा	पोस्ट ऑफिस, भलो का गुड़ा	प्रक्रिया जारी है।

01 अप्रैल से 10 जुलाई 2008 तक के कार्यों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। क्या सरकार इस पर कोई ब्याज सहित भुगतान के लिए पहल कर सकेगी? यही नहीं इस नयी भुगतान प्रणाली में यह कैसे निश्चित होगा कि एक साथ एक जैसा काम करने वाले मजदूरों को समान मजदूरी मिली है या नहीं? साथ ही मजदूरों को उनकी मजदूरी पूरी मिली या नहीं – इसके बारे में कैसे पता चलेगा?²

रा.गा.रो.गा. में इंगित कार्यों की सूची में प्राकृतिक संसाधनों के संचय तथा उनके प्रबंधन पर अधिकांश कार्य लिये गये हैं। यदि वरीयता सूची में इन कार्यों को लिया जाये तो गाँव के परिदृश्य को बदलते देर नहीं लगेगी। साथ ही संसाधनों का कुछ विकास भी होगा। परन्तु पहले दो वर्षों के अनुभव यह बताते हैं कि अभी भी पूर्व योजनाओं की तरह सड़क निर्माण प्राथमिक वरीयता पर है। परन्तु आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यह आवश्यक भी है ताकि यह सुदूर क्षेत्र जब तक अन्य क्षेत्रों से जुड़ेंगे नहीं तो विकास का बहाव रुक-रुक कर होगा। जयसमंद जल ग्रहण क्षेत्र में वैसे भी बहुत कम क्षेत्र ही ऐसे हैं जो दो फसलें आराम से ले पाते हैं। अतः इन क्षेत्रों में भूसमतलीकरण,


² वली ग्राम पंचायत के नरेगा कार्यों पर एक नजर, ज्ञान प्रकाश बेरवाल, जागरण जन विकास समिति, सापेटिया-उदयपुर

सिंचाई नहरों का निर्माण, कूप निर्माण तथा कूप मरम्मत आदि कार्य इन क्षेत्रों में शर्तिया ही कृषि उत्पाद बढ़ाने तथा जीविकोपार्जन में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होंगे।

परियोजना क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता भी एक परेशानी है। इन सवालियों का उत्तर यहां बन रहीं सूक्ष्म योजनाओं में लोगों द्वारा बहस उपरान्त ढूंढा जा रहा है।

इस वर्ष (2008–09) में अधिकतर कार्य भूसमतलीकरण के पास हुए हैं। परन्तु कुछ स्थानों को छोड़ कर कहीं भी यह कार्य शुरू नहीं किये गये हैं। यदि वर्षा पूर्व यह कार्य हो जाते तो इस वर्षा का इस भूमि पर फायदा लिया जा सकता था। अब ज्यादातर खेतों में फसल बुवाई हो चुकी है। अब यदि कार्य आरम्भ किये गये तो कौन इसमें भागीदारी निभाएगा।

जयसमंद जलग्रहण क्षेत्र कृषि पारिस्थितिकी अनुसार गर्म-अर्दशुष्क क्षेत्रों में आता है जहां वर्षा 600 मि.मी. से 750 मि. मी. होती है। वर्षा में शुष्क दिवसों की संख्या अधिक होने से फसल जलने का खतरा सदैव मंडराता रहता है। अरावली श्रृंखला हालांकि अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है परन्तु परिभ्रांशित अवस्था में पाये जाने वाली यह पहाडियां समय के साथ –



साथ और अधिक अपरदित हो रही है। छोटी – छोटी जोत, उबड़ खाबड़ धरातल, भूजल का गिरता स्तर, सतही जल की अनुपलब्धता, दूर – दूर मानव बसाव इन क्षेत्रों के विकास का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करते हैं। यदि सूक्ष्म योजनाएं निजी व सामुदायिक भूमि का संतुलन बना पाईं तो निश्चित ही इन क्षेत्रों की काया पलट सकती है। प्राचीन काल से पशुपालन इन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। यहां लोगों का पशुपालन में जुड़ाव इसी से स्पष्ट होता है कि उदयपुर सरस दूध प्लांट का 40 प्रतिशत दुध इसी क्षेत्र से एकत्रित किया जाता है। दूध व पशुपालन में जाति के आधार पर लोग जुड़े हैं। अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग ज्यादातर छोटे जानवरों से जुड़ाव रखते हैं। रा.गा.रो.गा.के अन्तर्गत जुड़ने वाले लोगों में दूध व्यापार से जुड़ी हुयी जातियां नहीं के बराबर हैं।

रावतपुरा गांव मकराड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां की बसावट विभिन्न जातियों के आधार पर है। नदी के किनारे तथा ढलान पर अधिकांश जमीनें डांगी समाज की है। आदिवासी परिवार ऊपरी भाग में बसे हुए हैं। जहां डांगी समाज बड़े जानवरों के साथ अपनी आजीविका चला रहा है वहीं आदिवासी परिवारों की आजीविका मजदूरी और छोटे जानवरों पर आधारित है। यह बसावट यूं ही नहीं हुई है इसके पीछे ऐतिहासिक पहलु भी हैं। आदिवासी परिवार अलग-अलग तथा जंगलों के समीप रहते आये हैं। वहीं पानी तथा चारे की आवश्यकता के चलते डांगी परिवार नदी के किनारे समतल तथा उपजाऊ भूमि पर बसे हुए हैं। यह बसावट नया एनीकट बनने के साथ भी देखी गयी कि एनीकट के आस-पास की जमीन पर डांगी परिवारों के खेत हैं तथा उससे दूर आदिवासी परिवारों के खेत हैं। आदिवासी परिवार अभी भी पीने के पानी के लिए उतने ही परेशान हैं जितना एनीकट बनने से पहले थे।

हमारे कार्य क्षेत्र में दो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण उभरते हैं – पहला इन क्षेत्रों में सूखा एक स्थाई बिमारी है। दूसरा चारे की अनुपलब्धता। यदि सम्पूर्ण कार्यों में दिये गए पैसे का आंकलन किया जाए तो अकाल निवारण कार्यों में पांच प्रतिशत भी पैसा आवंटित नहीं किया गया। साथ ही चारागाह से जुड़ी एक भी योजना रा.गा.रो.गा. के अन्तर्गत अभी तक हमारे क्षेत्रों में शुरू नहीं की गई है। जो कार्य रा.गा.रो.गा. में किये जा रहे हैं उनसे भी छोटे जानवरों के लिये चारा उपलब्ध हो पायेगा इस पर संदेह ही है।

रा.गा.रो.गा. में सबसे महत्वपूर्ण विषय है महिलाओं की समान भागीदारी तथा समान मजदूरी। यह कानून इस योजना में महिलाओं की भागीदारी की वकालत करता है। इसके हक में हमारे क्षेत्र में देखा गया है कि 85 से 95 प्रतिशत महिलाएं रा.गा.रो.गा. के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

रा.ग.रो.गा. कार्यों में महिला भागीदारी (राज्यों के अनुसार) 2006–2007³

राज्य	रा.ग.रो.गा. कार्यों में महिला भागीदारी का :	राज्य	रा.ग.रो.गा. कार्यों में महिला भागीदारी का :	राज्य	रा.ग.रो.गा. कार्यों में महिला भागीदारी का :
राजस्थान	67	उडिसा	36	आन्ध्र प्रदेश	55
असम	32	हिमाचल प्रदेश	12	हरियाणा	31
मध्यप्रदेश	43	उत्तराखण्ड	30	तमिलनाडु	81
उत्तर-पूर्व	49	कर्नाटक	51	बिहार	17
छत्तिसगढ़	40	झारखण्ड	28	गुजरात	50
उत्तरप्रदेश	17	जम्मू-कश्मीर	4	पंजाब	38
पश्चिम बंगाल	18	महाराष्ट्र	37	केरल	66
भारत	40				

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

गत दो वर्षों का अनुभव यह बतलाता है कि कुछ जगह महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी प्राप्त हुई है। यह भी देखा गया है कि इन कार्यों में ज्यादातर महिलायें तथा परिवार के अपेक्षाकृत वृद्ध यहां कार्य कर रहे हैं। समूहों में कार्य करने का प्रशिक्षण दिये जाने के बाद चार महिलायें व एक पुरुष का समूह बनाया गया। या तो यह पुरुष महिलाओं के साथ समझौता कर रहा है या महिलाएं औसत मजदूरी में पुरुष के साथ समझौता कर रही हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग निजी भूमि पर फलोत्पादन हेतु केशवबाड़ी कार्यक्रम भी एक पहल है। इसमें भलों का गुडा क्षेत्र में भी लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। कुल 22 लाभार्थियों को 704 खड्डे खुदवाये गये तथा पौधे वितरित किये गये। इसमें नींबू, आवला तथा आम के पौधे दिये गये। पौधे वितरण में अनावश्यक देरी तो फिर भी सही जा सकती है परन्तु लाभार्थियों को हरी टहनियां पौधे के रूप में वितरित कर दी गई। इस छल का परिणाम यह निकला कि आज पूरे क्षेत्र में गिनती के वृक्ष (50 आम 24 नींबू) जिंदा हैं, बाकि पौधे वितरण के कुछ दिन बाद ही मर गये। इस केस का गहराई से अध्ययन करने पर यह पाया गया कि जहां खड्डे खोदने की जगह निश्चित की गई थी वो पथरीली जमीन थी तथा वहां घास का तिनका भी पैदा नहीं होता है तो फलदार पौधे तो मरने ही थे।

³ NREGA Status Report; Aster Peng, Intern, SPWD - Udiapur

गतवर्ष के भुगतान पर नजर डाले तो आंकलन में यह स्पष्ट तौर से निकल कर आता है कि फिला पंचायत में औसत भुगतान 50 रु. से 53 रु. के मध्य हुआ है। यह औसत भुगतान चौकाने वाला अंक दिखता है। इससे सवाल यह उठता है कि यदि औसत भुगतान 50 रु. से 53 रु. के मध्य है तो बाकी का पैसा कहां गया?

औसत मजदूरी भुगतान दर . ग्राम पंचायत फिला रु ग्राम हाथीदा

क्रम संख्या	जॉब कार्ड नं.	परिवार के मुखिया का नाम	युनिट संख्या	परिवार की श्रेणी			कार्य दिवस	प्राप्त भुगतान राशि	कार्य का नाम	औसत भुगतान दर
				अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.				
1	11	शंकर / भगा मीणा	2	0	1	0	88	4854	सडक रतनपुरा	55.16
2	88	लोगर / कालु मीणा	2	0	1	0	70	3358	WHS	47.97
3	95	वीरा / नारा मीणा	2	0	1	0	13	603	सडक रतनपुरा	46.38
4	96	कालु / पुरा मीणा	2	0	1	0	50	2339	सडक रतनपुरा	46.78
5	97	रामलाल / पुरामीणा	4	0	1	0	100	4696	WHS	46.96
6	98	वालचन्द / कालु मीणा	2	0	1	0	99	5502	सडक रतनपुरा	55.58
7	100	कालु / भगा मीणा	2	0	1	0	89	4214	WHS	47.35
8	102	चतरा / काना मीणा	3	0	1	0	99	4880	सडक रतनपुरा	49.29
9	103	परता / कालु मीणा	2	0	1	0	97	4831	WHS	49.80
10	104	प्रेमशंकर / केसामीणा	4	0	1	0	99	4925	WHS	49.75
11	105	भंवरलाल / चतरा मीणा	2	0	1	0	100	4971	सडक रतनपुरा	49.71
12	109	लालु / मोडा मीणा	3	0	1	0	100	5581	WHS	55.81
13	111	अमरसिंह / लक्ष्मण सिंह	2	0	0	0	99	4521	WHS	45.67
14	113	जयसिंह / लक्ष्मणसिंह	4	0	0	0	100	4723	WHS	47.23
15	114	भीमसिंह / अमरसिंह	2	0	0	0	50	2782	WHS	55.64
कुल							1253	62780		50.10

औसत मजदूरी भुगतान दर . ग्राम पंचायत फिला रु ग्राम रतनपुरा

क्रम संख्या	जॉब कार्ड नं.	परिवार के मुखिया का नाम	युनिट संख्या	परिवार की श्रेणी			कार्य दिवस	प्राप्त भुगतान राशि	कार्य का नाम	औसत भुगतान दर
				अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.				
1	25	हामा / परता मीणा	3	0	1	0	98	4475	सडक	45.66
2	32	कन्ना / दोला मीणा	2	0	1	0	99	5171	एनीकट	52.23
3	36	वरदीसिंह / माधोसिंह	2	0	0	0	55	2726	एनीकट	49.56
4	43	धन्ना / रोडा मीणा	3	0	1	0	85	6205	वन	73.00
5	45	नाथु / कालु मीणा	3	0	1	0	60	3197	सडक	53.28
6	46	लोगरी / पेमा मीणा	1	0	1	0	100	6474	वन	64.74
7	53	कन्ना / देवा मीणा	2	0	1	0	100	4995	सडक	49.95
8	55	वेला / माना मीणा	2	0	1	0	60	3243	सडक	54.05
9	60	रामसिंह / मोडसिंह चुंडावत	2	0	0	0	100	4910	सडक	49.10
10	61	खेता / माना मीणा	2	0	1	0	98	5169	सडक	52.74
11	62	नोजा / कीका मीणा	4	0	1	0	97	4754	एनीकट	49.01
12	68	शंकर / देवा मीणा	3	0	1	0	98	4804	एनीकट	49.02
13	70	जसवंतसिंह / रूपसिंह	2	0	0	0	49	2436	एनीकट	49.71
14	73	भगा / मन्ना मीणा	3	0	1	0	102	5037	सडक	49.38
15	75	मेघा / नोजी डांगी	2	0	0	1	60	3228	सडक	53.80
कुल							1261	66824		52.99

कुल उपलब्ध जॉब कार्ड के सामने कार्य करने वालों की संख्या वैसे ही कम है। उपर से यदि भुगतान भी कम है तो कुल कार्यों का तथा आर्थिक स्वीकृति का क्या हुआ ? जो लोग वास्तव में 100 दिन कार्य कर पा रहे हैं तो अतिरिक्त दिनों में क्या उन्हें ओर कार्य मिल सकता है (जबकि बहुत से लोग इस योजना से जुड़े ही नहीं हैं) तो


कार्य की वैधानिक गारण्टी का क्या होगा जिसमें गरीब कार्य मांगने का अधिकार रखता है साथ ही इस बात की गारण्टी जिसमे मजदूर द्वारा कार्य की मांग यह कार्यक्रम सूननिश्चित करेगी ना कि ऑफिसरों द्वारा कार्य की पूर्ति।

2008 – 09 के लिए प्रस्तावित कार्य

विवरण	भलो का गुडा		भेखडा		छोटा गुडा		करगेट		कुल	
	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट
जल संरक्षण कार्य	2	9.5	5	15.5	1	3	1	3	9	31
पुनर्वनीकरण तथा केशव बाडी योजना	1	1.56	1	0.78	1	0.78	3	3.68	6	6.8
सिंचाई / पेयजल योजना	3	15	2	4.5	2	4.5	3	7	10	31
भूमि विकास	2	8	1	2.5	1	2.5	1	2.5	5	15.5
सडक कार्य	3	8.75	2	6.25	1	3.75	3	8.75	9	27.5
कुल योग	11	42.81	11	29.53	6	14.53	11	24.93	39	111.8


2008-09 के लिए स्वीकृत कार्य

विवरण	भलो का गुडा		भेखडा		छोटा गुडा		करगेट		कुल	
	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट	कार्य के प्रकार	प्रस्तावित बजट
जल संरक्षण कार्य	1	2	1	5	0	0	1	2	3	9
वनीकरण तथा केशव बाडी योजना	1	2.4	0	0	0	0	1	2.4	2	4.8
सिंचाई / पेयजल योजना	3	20	0	0	0	0	3	11	6	31
भूमि विकास	3	12	2	4.5	0	0	2	9	7	25.5
सडक कार्य	0	0	0	3	0	0	1	3	1	6
कुल योग	8	36.4	3	12.5	0	0	8	27.4	19	76.3



पंचायत भलों का गुडा (पंचायत के प्रस्तावित वार्षिक कार्य)

विवरण	श्रम		सामग्री		कुल (राशि लाखों में)	कार्य दिवस
	राशि (लाखों में)	कुल का %	राशि (लाखों में)	कुल का %		
भलों का गुडा	26.96	62.96	15.86	37.04	42.82	35932
भेखडा	14.77	50.00	14.77	50.00	29.54	18001
छोटा गुडा	9.02	62.04	5.52	37.96	14.54	11836
करगेट	16.25	65.16	8.69	34.84	24.94	21741
पंचायत स्तर	67	62.96	44.84	37.04	111.84	87510



श्रद्धांजली
युवा झारखण्ड कार्यकर्ता श्री ललित मेहता की 14 मई 2008 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गयी। वे झारखण्ड में रा. ग. रो. गा. योजना के सफल क्रियान्वन में सक्रिय भुमिका निभा रहे थे। हम जयसमन्द कंसोर्टियम की ओर से दिवंगत आत्मा को अश्रुपुरित श्रद्धांजली अर्पित करते हैं।

संदर्भ

1. जलागम कार्य प्रशिक्षण पुस्तक, बाबा आमटे लोक सशक्तिकरण केन्द्र, समाज प्रगति सहयोग जुलाई 2006 पृ 1-7
2. केस स्टडी, केशव बाडी भल्लों का गुडा, हेम कुंवर, हनुमान वन विकास समिति, साकरोदा
3. वली ग्राम पंचायत के नरेगा कार्यो पर एक नजर, ज्ञान प्रकाश बेरवाल, जागरण जन विकास समिति, सापेटिया-उदयपुर
4. व्यक्तिगत अध्ययन (मेट) पंकज पालीवाल जागरण जन विकास समिति, सापेटिया-उदयपुर
5. भुगतान विश्लेषण, दया राम, प्रयत्न समिति, बम्बोरा
6. NREGA Status Report; Aster Peng, Intern, SPWD - Udiapur